राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली केम्वे के सामने आगरा रोड जयपुर

क्रमांक 1736 दिनांक 28/11/16

ई निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की निम्न सेवा के लियें ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा/अपलोड करने की अन्तिम दिनांक	ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क
1	4/2016 17	लगभग 200 मानसिक विमंदित आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेकिगं का कार्य	14 माह लगभग	7000000/-	140000/-	13.12.2016 को 3.00 PM तक डाउन लोड एवं 4:00 PM तक अपलोड कराने की तिथि	दिनांक 14.12.2016 को 11.00 AM पर खोली जायेगी	400/-

निविदा संबंधित पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in व राज्य उपापन पोर्टल SPPP.rajashthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईड sje.rajasthan.gov.in ,पर देखा जा सकता है।

अधीक्षक
मानसिक विमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

अधीक्षक
मानसिक विमन्दित महिला एवं
बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
कोड नं. 11/23739

क्रमांक 1737-45 दिनांक 28/11/16
प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र जिसका परिचालन 50,000 प्रतियां या उससे अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित कराने का श्रम करें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन जयपुर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक, जयपुर (शहर), जयपुर।
4. प्रबंधक आर.आई.एस.एल. जयपुर को भेजकर निवेदन है कि http://eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
5. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड sje.rajasthan. gov.in ,अपलोड करवाने का श्रम करें।
6. प्रोग्रमर निदेशालय विशेष योग्यजन,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं SPPP.rajashthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय SJE/SAP
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
अधीक्षक
मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली जयपुर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार

अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह

जामडोली केम्वे के सामने आगरा रोड जयपुर

क्रमांक   दिनांक

ई निविदा विवरण

राज्यपाल महोदय की और से मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर में आवासियों की` निम्न सेवा के लियें ई निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	NIT सं.	सेवा का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	अमानत राशि	ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउन लोड व जमा अपलोड करने की दिनांक	ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक	निविदा प्रपत्र शुल्क
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

शर्तेः– 1. बिड प्रपत्र उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक [illegible] से डाउन लोड एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक [illegible]

2. जो निविदाकार इस ई–निविदा (e-TENDER) में [illegible] http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण [illegible] अधिनियम 2000 (I.T.Aet 2000) [illegible] किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority [illegible] डिजीटल संर्टिफिकेट ले सकते है। जिन निविदकारों के पास पहले से ही [illegible] डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हे पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

3. बिडदाता द्वारा बिड शुल्क,ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमाड ड्राफ्ट (पृथक–पृथक) भौतिक रूप से कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्वे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि 13.12.2016 को सांयकाल 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा बिड पर विचार नही किया जाएगा।

4. बिड शुल्क, ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क, अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक भौतिक रूप से इस कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा कराने वाले बिडदाताओं की तकनीकी बिड (Technical bid) इलेक्ट्रोनिक फोरमेट मे वेबसाईट

http://eproc.rajasthan.gov.in पर कार्यालय अधीक्षक, मानसिक विंमदित महिला एँवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली, केम्वे गोल्फ होटल के सामने आगरा रोड जयपुर में निर्धारित तिथि को उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जाएगी। सफल तकनीकी निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना ईमेल द्वारा दी जायेगी।

6. बिडदाता द्वारा उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर के नाम दिया जाना होगा।

7. निविदा फार्म शुल्क के अतिरिक्त ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/–रू डी.डी. के रूप मे M.D,.RISL, jaipur के नाम दिया जाना होगा।

8. कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिक जमा कराने में किसी भी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।

9. बिडदाता को बिड प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में डिजिटल साईन में प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर में नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म मे स्वीकार नही किया जायेगा।

10. इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडदाता यह सुनिश्चित कर लें कि बिड प्रपत्रों में वाछित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है, अन्यथा बिड पर विचार नही किया जाएगा।

11. तकनीकी रूप से दस्तावेंजों के जांच के उपरान्त फर्मों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा कराया जा सकता है।

12. किसी भी बिड का स्वीकार करने एवं निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

13. बिड से संबंधित समस्त विवरण राज्य उपापन पोर्टल www.sppp.raj.nic.in विभागीय पोर्टल www.sje.rajasthan.gov.in, एवं http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

14. निविदा प्रपत्र शुल्क, ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क एवं अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर चैक (पृथक–पृथक बने हो) बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। तथा निर्धारित समय तक पूर्ण रूप में कार्यालय अधीक्षक महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में जमा कराना होगा। अन्यथा बिड पर विचार नही किया जाएगा।

अधीक्षक
मानसिक विमंदित महिला एव
बाल कल्याण पुनर्वास गृह
जामडोली जयपुर

परिशिष्ठ–"स"

खुली निविदा लिए निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में बेवसाइड पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिये ।

1 **निविदा भरने की प्रक्रिया :–** परिशिष्ठ–"अ एवं ब" तथा निविदा की विस्तृत शर्तो के अनुसार भरी जावे।

2 **निविदा हेतु योग्यताः–** निविदा व्यक्ति,फर्म, कम्पनी,या संस्था द्वारा भरी जा सकती है। फर्म आदि के गठन में किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से,फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार को रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

3 फर्म को किसी राजकीय संस्था में बालक, बालिकाओं /व्यक्तियों के क्षैत्र में केयर टेकर/अटेंन्डेंट आपूर्ति करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। **अनुभव का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।** (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।केवल कार्यादेश मान्य नही होगें।

4 आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड) एवं श्रम विभाग के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

5 पी.एफ./ई एस.आई./सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

6 **दरेः–** निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनो में लिखी जानी चाहिये। इसमें कोई त्रुटी एवं ऑवर राइटिंग नही होनी चाहिए।यदि कोई शुद्वि करनी होतो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। शब्दो एवं अंको में अंकित दर में भिन्नता होने पर शब्दो में अंकित दर को अधिकृत मान कर गणना में शामिल किया जायेगा।

7 निविदा में दर अंकित करते समय PF/ ESI/ ST अलग से अंकित की जावें व इनकी राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे।

8. **निविदा की विधि मान्यताः–** ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रृटि पायी जाने पर निविदा को रदद करने का अधिकार समिति को होगा।

9. व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओ पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जावेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

10. निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

11. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या उप भाडे (सबलैट) पर नही देगा।

12 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

13. **केयर टेकर का कार्यः– विमंदित महिलाओं एवं बालकों की केयर टेकिंग के कार्य से उनकी समस्त प्रकार की देखभाल अभिप्रेत है यथा –दैनिक दिनचर्या पूरी करवाना, शौच करवाना, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, चाय–नाश्ता, भोजन करवाना, उनके बिस्तर एवं वस्त्रों की पूर्ण देखभाल करना, बीमार होने पर अस्पताल में दिखाने के लिये नर्सिगं/डॉक्टर, के साथ जाना, अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी अस्पताल में केयरटेकिगं करना एवं अन्य केयरटेकिगं का कार्य जो अधीक्षक द्वारा निर्देशित किये जावें आदि सम्मिलित है।**

14. **उक्त निविदा लगभग 200 मानसिक विमंदित आवासियों की 24 घन्टे देखभाल हेतु जॉब बेसिस पर केयर टेंकिगं का कार्य कराने हेतु है। जिसमे लगभग 40 प्रोफाउण्ड श्रेणी के तथा 160 अन्य श्रेणी के मानसिक विमंदित आवासी है। जिनके संख्या में घटत बढत होती रहती है। महिला विग के लिये महिलाये तथा पुरुष विंग के लिये पुरूष केयर टेकर से केयर टेकिंग का कार्य कराना होगा।**

15. **राजस्थान मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालन नियम, 2015 के नियम 6 के उपनियम 8 के अनुसार आवासियों की निर्धारित संख्या पर निर्धारित संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिगं का कार्य करवाना होगा। उक्त नियमानुसार 5 प्रोफाउण्ड श्रेणी (अतिगम्भीर मानसिक रोगी) के आवासियों**

पर न्यूनतम एक प्रति पारी तथा 10 सामान्य मानसिक विमंदितो पर न्यूनतम एक प्रति पारी केयर टेकर का होने का प्रावधान है।

16. केयर टेकर द्वारा केयर टेकिगं का कार्य 24 घन्टे करना होगा। प्रातः दोपहर एवं रात्रि की पारियों में कार्य करना होगा। मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर में आवासियों की संख्या घटती बढती रहती है अतः सख्या के अनुसार केयर टेकर्स उपलब्ध कराना अनिवार्य होगें।

17. संस्था में आवासियों की केयर टेकिगं के कार्य में किसी भी दिन अवकाश नही होगा। केयर टेकिगं कार्य करने वाले कर्मचारी किसी गंभीर बीमारी से पीडित नही हो तथा पूर्ण स्वस्थ हो एवं वर्णित कार्य करने में सक्षम हो।

18. संवेदक द्वार उपलब्ध कराये गये कार्मिको की केयर टेकिगं का कार्य करते समय किसी कारण वश यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है या कार्मिक को किसी भी रूप में शारीरिक क्षति हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लियें मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

19. निविदादाता फर्म ठेके की अवधि में आवश्यकता अनुसार संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है या फर्म/संवेदक इस अवधि में देखभाल का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कोस्ट पर अपने स्तर पर देखभाल कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नही होगा।

20. सवेंदक द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिको को की उपस्थिति कार्यालय के प्रभारी के पास उपलब्ध रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करानी होगी। संवेदक द्वारा नियुक्ति से पूर्व केयर टेकिग का कार्य करने वाले कार्मिको के निवास /स्थायी पते का पूर्ण विवरण मय फोटो प्रस्तुत करना होगा एवं अपने कार्मिको को पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। बिना पहचान पत्र विमंदित गृह में प्रवेश नही दिया जायेगा। नियुक्त कार्मिको का पुलिस वेरिफिकेशन करा कर देना होगा। इस के अभाव में भुगतान देय नही होगा।

21. केयर टेकिगं का कार्य करने वाले कार्मिको को आसमानी रंग का एप्रिन पहनाना अनिवार्य होगा। एप्रिन फर्म को उपलब्ध कराना होगा। जिस पर संवेदक फर्म का नाम लिखा होगा।

22. सन्तोषजनक कार्य नही करने वाले केयर टेकर अधीक्षक के आदेश पर बदलने होगें, यदि किसी केयर टेकर से लापरवाही होती है तो फर्म/संवेदक पूर्ण जिम्मेदार होगी।

23. उपलब्ध कराये गये केयर टेकर पर प्रशासनिक नियन्त्रण कार्यालय अध्यक्ष/अधीक्षक का होगा।

24. **अमानत राशिः**–निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ निविदा सूचना में अंकित मात्रा अनुसार निर्धारित रूप मे अमानत राशि जमा करवाई जायेगी। अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदा मान्य नही होगी। निविदादाता को अनुमानित लागत रू 7000000/– का 2 प्रतिशत राशि रू. 140000/–अमानत राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह के नाम देय बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय तक अधीक्षक मानसिक विमंदित गृह जामडोली जयपुर मे जमा करवाने होंगे बिना अमानत राशि जमा कराए निविदा पर विचार नही किया जावेगा। नकद राशि स्वीकार नही होगी।

25. असफल निविदादाताओ को अमानत राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से, लिखित आवेदन पर वापस कर दी जायेगी।

26. अमानत राशि का समपहरण अमानत राशि को निम्नलिखित मामलो में समपहत कर लिया जायेगाः–

I जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

Ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

Iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

Iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारभ करने में असफल रहता हो

v यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिये विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

27. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–**

i सफल निविदादाता को कार्य आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार 1000 /–रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा प्रस्तुत निविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि कार्यादेश की तिथि के 7 दिवस के भीतर जमा करा नी होगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी अमानत राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में अमानत राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जावेगा।

iv प्रतिभूति राशि अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह जामडोली जयपुर के नाम देय होगी। प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगेः–

(क) बैक ड्रापट /बैकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति।

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओ के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हे गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।यह pledge की हुई होनी चाहिए।

28. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नालिखित मामलो में समपहत कर लिया जावेगा :–

I जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने के असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिये जायेंगे इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29 करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प्स [illegible] निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को करार की [illegible] निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

30. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भगीदारी विलेख की एक अभिप्रमाण्ति प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता इस आशय का प्रमाण पत्र, टेलीफोन नंबर एवं व्यक्तिगत पहचान।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

31. प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

32. **भुगतानः–** भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, कार्य के लिये भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

33. फर्म /संवेदक द्वारा नियुक्त कर्मचारी को दैनिक मजदूरी का भुगतान नियमानुसार करना होगा जो न्यूनतम मजदूरी से कम नही होगा। फर्म को अगले माह का भुगतान, गत माह के भुगतान मय पीएफ,ईएसआई एवं एस.टी.जमा कराने की रसीद/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जावेगा। सवेंदक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना का सुनिश्चयन करना होगा। इसके लिये वह व्यक्तिश जिम्मेदार होगा। अतः संवेदक फर्म वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए ही अपनी दरें प्रस्तुत करें।

34. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेगे। फर्म को नियमानुसार सर्विस टैक्स स्वंय ही जमा कराना होगा ।

35. न्यूनतम मजदूरी/ पी.एफ./ई.एस.आई. व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ संवेदक की है तथा संबंधित की कटौती के जमा के चालान की प्रति मागें जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। भुगतान उपलब्ध कराये गये केयर टेकर की संख्या के अनुसार किया जावेगा।

36 .**परिनिर्धारित क्षतिः–** निविदा प्रपत्र में आपूर्ति अवधि के लिये विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता को आवासियों के केयर टेकिगं के प्रभावी नियमों के अनुसार आवश्यक संख्या में केयर टेकर से केयर टेकिगं का कार्य करवाना होगा। किसी केयर टेकर की अनुपस्थिति की स्थिति में तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था नही होने पर अधीक्षक अपने स्तर पर निविदादाता की रिस्क एवं कोस्ट वेकल्पिक व्यवस्था कर सकेगी। निर्धारित समय के विलम्ब/अनुपस्थिति पर राशि रूपये 200/–प्रति केयर टेकर की दर से परिनिर्धारित क्षति देय होगी।

37 **वसूलीः–** अधीक्षक/निरीक्षक कमेटी/ उच्चधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय फर्म से संबंधित कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर 2000/– की कटोती एक बार में की जावेगी।

38 **अन्यः–** ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने /कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि जब्त करली जायेगी।

39 यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है, जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्ते को स्वीकार किया हुआ नही समझा जायेगा। जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

40 क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है,स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रदद करने या जिन कार्यो के लिये निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

41 यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

42. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

43. निविदा के साथ वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।

44. प्राप्त निविदाए मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, केम्बे गोल्फ होटल के सामने, जामडोली, आगरा रोड़, जयपुर मे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जावेगी।

45. तकनीकी/वित्तीय निविदा अलग–2 फोल्डर में अपलोड की जावें। किसी भी रूप में एक फोल्डर में नही होवे।

46. निविदा में निविदा का/ अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नं. तथा इमेल एड्रेस दिया जाना आवश्यक होगा।

47. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ट पर अपनी सहमति के रूप में डिजिटल सिगनेचर करने आवश्यक होगे।

48. निविदादाता फर्म का गत एक वर्ष का कार्मिक आपूर्ति का वार्षिक टर्नऑवर न्यूनतम 4500000/–पैतालीस लाख रूपये होना अनिवार्य है। इसके प्रमाण स्वरूप चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा टर्नऑवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। **इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।**

49. निविदा की अवधि नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा दिनांक 28.02.2018, जो भी पहले हो तक होगी। उक्त ठेके की अवधि बढाई व कम की जा सकती है ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्ही शर्तो एवं दरो पर बढाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा। वर्तमान में वित्त विभाग से दिनांक 28.02.2017 तक के लिये उक्त कार्य जॉब वर्क के अधार पर कराने के लिए सहमति प्राप्त है। जिसकी दिनांक 28.02.2018 तक बढ़ने की प्रत्याशी है। अतः इसी अनुसार कार्यादेश 28.02.2018 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

भविष्य में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार ही जॉब वर्क कराया जा सकेगा।

50. संवेदक द्वारा केयर टेकिंग के कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये कार्मिको द्वारा यदि गृह की सामग्री काम में लिये जाने पर वसूली योग्य होगी।

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्ते, मैनें पढ़ ली है, ओर स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

परिशिष्ठ–द

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मामलों सामानों/उपकरणों /सेवाओं के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मै बोनाफाइड विनिर्माता/ थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सोल विक्रय विपणन एजेण्ट/ व्यवसायी हूँ।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव ड़ाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

परिशिष्ठ–अ

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

तकनीकी बिड़(स्टेज–I)

1 विषयः जॉब बेसिस पर विमंदित बालको एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।

2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता...
....
....

3. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर ....

4. निविदा दाता का ईमेल एड्रेसः– ....

5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– **04/2016–17** दिनांक

6. हम **अधीक्षक, मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या **04/2016–17** दिनांक........................में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट(इनके सभी पृष्टों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

7. **संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरणः–**

क्र.सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही	जारी होने की तिथि /वैद्यता अवधि/ बैंक का विवरण
1.	ई–टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 400/– जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं. /डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर.........दिनांक............राशि रूपये....................प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
2	ई–टेण्डेरिग प्रक्रिया शुल्क राशि रू. 500/– जमा कराने का पोस्टल आर्डर नं./डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर.........दिनांक..... ....राशि रूपये....................प्रस्तुत किये जाने का विवरण		
3	सूचना में अंकित अमानत राशि राशि रू. 140000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर चैक नम्बर...........दिनांक... ....राशि रूपये............. का विवरण		
4	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र		
5	वित्तीय क्षमता संबंधित दस्तावेज		
6	श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र		
7	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र		
8	पेन कार्ड (आय कर)		
9	परिशिष्ट–द''घोषणा पत्र		

8.	पी एफ पंजीयन प्रमाण पत्र		
9.	ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण पत्र		

10. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है:-

1 ....

2 ....

3 ....

11 हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

12. निविदा शुल्क, ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह में जमा होने की स्थिति में ही ई-निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक की स्केन कॉपी ई- निविदा के साथ अपलोड करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

नोट:-1.उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नही उसके आगे हॉ या नही ,उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

2. **निविदा भरने की प्रक्रिया:-**

(ए) परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट अ स 'एवं ''द'' प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा अपलोड करें।

(बी) परिशिष्ट ''ब''प्राईस बिड है तकनीकी निविदा मे पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

(स) तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक पृथक फोल्डर बना कर अपलोड की जावें।

परिशिष्ठ–ब

कार्यालय अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बालक कल्याण पुनर्वास गृह
विशेष योग्यजन विभाग, जामडोली, जयपुर

निविदा प्रपत्र –प्राईस बिड़(स्टेज–II)

1.विषयः जॉब बेसिस पर विमंदित बालको एवं महिलाओं की देखभाल का कार्य करने के लिये केयर टेकर उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र।

2. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता..
....
....

3. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर ....

4. निविदा दाता का ईमेल एड्रेसः– ....

5. सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– 04/2016–17 दिनांक

6. आवासीयों के देखभाल के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल मासिक दर प्रति केयर टेकर (मय समस्त करों ESI. PF.SER.TAXएवं आनुषगिक प्रभारों के विवरण सहित)
1	2	3
1.	लगभग 200(40 प्रोफाउण्ड तथा 160 अन्य श्रेणी के) मानसिक विमंदित आवासियों की 24 घन्टे (तीन पारियों में) देखभाल हेतु जॉव बेसिस पर केयर टेकिगं का कार्य हेतु।	(प्रत्येक कार्मिक के लिये) पारिश्रमिक .... पी.एफ.. ई.एस.आई.............................. सर्विस टैक्स....................................... सर्विस चार्जेज.. अन्य अनुषंगिक प्रभार.............................. कुल राशि रूपये अंको में.............................. शब्दों में...

7. (i)दरे शब्दो एवं अंको में दोनो रूप मे स्पष्ट लिखी जावें दरो में कोई त्रृटि एवं ऑवर राईटिंग नही होवे।

(ii) अस्पष्ट वाक्य जैसे :–टैक्स पेड़, कर सहित,एज एपलिकेवल का प्रयोग नही किया जावें।

(iii)दर एवं टैक्स का अलग अलग उल्लेख किया जावें।

(iv)दरें ई –टेण्डरिंग के निर्धारित फोरमेट BOQ मे ही दी जावे।

निविदा भरने की प्रक्रियाः–(ए) परिशिष्ट ''अ'' तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ''''''स' 'एवं ''द'' प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत करें।
(बी) परिशिष्ट ''ब''प्राईस बिड है तकनीकी बिड के योग्य निविदादाताओं की ही प्राईज बिड खोली जायेगी।

(डी) प्राईस बिड को भरने हेतु परिशिष्ट ''अ'''ब'''स' 'एवं ''द''की शर्तो को ध्यान में रखे। किसी भी शर्त की अवहेलना पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
(इ)प्राईज बिड में दरे अंकित करने हेतु परिशिष्ट ''स''की शर्त नं. 6 की पूर्ण पालना की जावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर